



संदर्भ संख्या: राबै/ डोर-जीएसएस / 618-705 / न्यू एएमआई / 2021-22

दिनांक 30 सितंबर 2021

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
अनुसूचित शहरी बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
राज्य सहकारी बैंक
राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
अन्य ऐसे संस्थान जो नाबार्ड के पुनर्वित्त के योग्य हैं

महोदय,

एएमआई योजना के तहत आवेदन को जमा करने की अंतिम तिथि में बदलाव
Extension of Last Date for submission of application under AMI Scheme

कृपया आईएसएम की उपयोजना एएमआई पर हमारे पत्र संख्या राबै. डोर-जीएसएस 192/ न्यू एएमआई /2021-22, दिनांक 10 जून 2021 और राबै. डोर-जीएसएस 197/ न्यू एएमआई /2021-22, दिनांक 14 जून 2021 का संदर्भ ग्रहण करें।

इस संबंध में हम सूचित करते हैं कि हाल ही में इन्सयोर पोर्टल के सामने आए तकनीकी मुद्दों के कारण एएमआई योजना के अंतर्गत 30 जून 2021 तक स्वीकृत बैंक ऋण हेतु अग्रिम सब्सिडी आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30.09.2021 से बढ़ाकर 08.10.2021 करने का निर्णय लिया गया है।

कृपया इसे अपने संबन्धित शाखाओं के संज्ञान में लाया जाए।

Please refer to our letter Nos. NB.DoR.GSS 192/New AMI/2021-22 dated 10th June 2021 and NB.DoR.GSS 197/New AMI/2021-22 dated 14th June 2021 regarding AMI sub-scheme of ISAM.

In this connection, we advise that due to technical issues recently encountered in the Ensure Portal, it has been decided to extend the last date for submission of advance subsidy applications under AMI Scheme from 30.09.2021 to **08.10.2021** in respect of projects where bank loan has been sanctioned upto 30.06.2021.

This may please be brought to the notice of your concerned branches.

भवदीया

Lishka

(तृप्ति मिश्रा)

उप महाप्रबन्धक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

विभाग नाम

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26524926 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org
Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26524926 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org